**संख्या:52/2017/1500जेएल/22-3-17-53/2016**

**प्रेषक,**

**मणि प्रसाद मिश्र,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनाक: 19 जून, 2017***

**विषय-** प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों के पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संबंध में आख्या का प्रेषण।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-189/2016/2230जेएल/22-3-16-800(220)/2015टीसी, दिनांक 23-05-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों के पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संबंध में आख्या का प्रेषण के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

**2-** इस अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका (क्रिमिनल) सं0-48/14 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुरूगन एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 का संगत अंश निम्नवत् है :-

> **"No suo motu power of remission is exercisable under Section 432(1) of Code of Criminal Procedure It can only be initiated based on an application of the person convicted as provided under Section 432(2) and that ultimate order of suspension or remission should be guided by the opinion to be rendered by the Presiding Officer of the concerned Court."**

**3-** मा0 उच्चतम् न्यायालय के उक्त आदेश के संबंध में न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि "मा0 सर्वोच्च न्यायालय(संविधान पीठ) के द्वारा श्रीहरन उर्फ मुरूगन के दाण्डिक वाद में पारित उपरोक्त आदेश अक्षरश: पालन किये जाने योग्य है और सिद्धदोष बंदियों को द0प्र0सं0 की धारा-432(2) के अन्तर्गत दिये जाने वाले पैरोल के प्रत्येक प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरवर्णित आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाना प्रशासनिक विभाग की विधिक बाध्यता है।"

**4-** अतएव एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि संबन्धित जेल के कारागार अधीक्षकों द्वारा सिद्धदोष बंदियों की पैरोल स्वीकृति हेतु बंदियों के प्रार्थना पत्र एवं अद्यतन जेल रिपोर्ट के साथ ही प्रश्नगत याचिका में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 के अनुपालन में सम्बन्धित मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का अभिमत प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को भी उपलब्ध करायी जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त जेल अधीक्षकों को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**मणि प्रसाद मिश्र**
**सचिव।**

**संख्या:52/2017/1500जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

**1-**निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
**2-**समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
**3-**गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर**
**संयुक्त सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in